जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.04.19

दाल व्यापारी के साथ हुई 5 लाख 85 हजार रूपये की लूट का खुलासा, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुए 4 लाख 50 हजार- रुपये नगद, 02 अवैध तमन्चे 315 बोर मय कारतूस, 02 चाकू व अन्य सामान बरामदः- दिनांक 27.04.19 को थाना कोतवाली पुलिस चौकी सिविल लाइन के सामने बैरियर लगाकर चैकिंग में मामूर थी तभी मुखबिर खास ने उपस्थित होकर बताया की मेरठ तिराहे के पास 10 दिन पहले व्यापारी के तमन्चा लगाकर की गई लूट के 2 बदमाश घटना में प्रयोग की गयी मो0सा0 के साथ अपने अन्य साथियों का इन्तजार कर रहे है जिनके पास अवैध असलाह भी है जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुऐ कोतवाली पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर गयी तो वहाँ पर पहले से 02 लोग खडे थे तभी 01 मो0सा0 पर अन्य 2 व्यक्ति आकर रूके तभी पुलिस टीम द्वारा बदमाशो को घेर कर आत्मसर्मपण के लिये ललकारा तो बदमाशा ने कहा पुलिस बाले है गोली चलाओ इस पर 01 बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया बदमाशो की गोली से बचकर अदम्म साहस का परिचय देते हुए बदमाशो को भागने का मौका दिये बगैर घेर घोटकर आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुऐ 04 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 04 बदमाशों के कब्जे से 02 अदद तमन्चे 315 बोर, मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अदद चाकू नाजायज, व्यापारी से लूटे हुऐ 450000-नगद रूपये, बैक ऑफ इण्डिया की पास बुक, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आई कार्ड संयुक्त व्यापार मण्डल, विजिटिंग कार्ड स्कूटी होण्डा का रिटेल इनवाडस लेटर व घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 बरामद हुई है।

दिनांक 16.04.19 को थाना कोतवली क्षेत्र में करीब 10 दिन पहले दाल व्यापारी से लूट हुयी थी। जिसमे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 304/19 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 335/19 धारा 307,323,332,353,482,411,414 भादवि मु0अ0सं0 336/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 337/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 338/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 339/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पतेः-

1. सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री अतर सिंह नि0 ग्राम सराय जगन्नाथ थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर।
2. मोहित पुत्र श्री अतरसिंह नि0 ग्राम सराय जगन्नाथ थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर।
3. गौरव उर्फ गौरी पुत्र श्री करनवीर सिंह नि0 ग्राम सराय जगन्नाथ थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर।
4. राहुल पुत्र श्री बलजीत नि0 ग्राम सराय जगन्नाथ थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर ।

नोटः- एक बदमाश अभी फरार है।

बरामदगीः-

1. लूटे हुए 450000-रू0 नगद मु0अ0सं0 304/19 धारा 394 भादवि से सम्बधित।
2. घटना में प्रयुक्त 2 तमन्चे मय 2 जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त 2 अदद चाकू नाजायज।
4. घटना प्रयुक्त 02 बाईक (1) मो0सा0 अपाचे नं0 यूपी 16बीके 3516 (2) मो0सा0 स्टार सिटी प्लस नं0 यूपी 16 एजैड 3162 सम्बन्धित मु0अ0सं0 551/18 धारा 379 भादवि थाना इकोटैक-3 गौतमबुद्धनगर।
5. व्यापारी से लूटी हुई 1. बैक पास बुक बैक ऑफ इण्डिया, 2. वोटर आई कार्ड, 3. आई कार्ड संयुक्त व्यापार मण्डल, 4. विजिटिंग कार्ड, 5. स्कूटी होण्ड का रिटेल इनवॉइस लैटर।

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 304/19 धारा 394,411 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद

2. मु0अ0सं0 335/19 धारा 307,323,332,353,482,411,414 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
3. मु0अ0सं0 336/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
4. मु0अ0सं0 337/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
5. मु0अ0सं0 338/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
6. मु0अ0सं0 339/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
7. मु0अ0सं0 551/19 धारा 379 भादवि थाना इकोटैक-3 गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 51/19 धारा 323,307 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

नोटः- अभियुक्तगणो द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर व दिल्ली एनसीआर में कई घटनाओ का इकबाल किया है जिसके सम्बन्ध में सम्बधित थानो एंव जनपदो को अवगत करा दिया गया है। सम्बन्धित थानो एंव जनपदो के विवेचको द्वारा वैधानिक कार्यवाही अलग से की जा रही है।

<u>03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ट्रेक्टर मय ट्राली बरामद-</u> थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 27/4/19 समय करीब 19.45 बजे थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र मीनाक्षी सिनेमा के पास से 03 शातिर किस्म का वांछित अपराधी (1) शुभान्शु उर्फ पिन्टू पुत्र पवन नि0 शैडभर थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र – 22 वर्ष। (2) सचिन उर्फ कल्लू पुत्र श्याम सिहं नि0 ग्राम कोट थाना गुलावटी जिला बु0शहर उम्र करीब – 20 वर्ष । (3) अंकित यादव पुत्र अजेन्द्र सिहं नि0 कोटा थाना थाना गुलावटी जिला बु0शहर उम्र करीब 22 वर्ष । को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे/निशानदेही पर चोरी का 01 अदद ट्रेक्टर रजि नं0 HR 13M 7666 मय 01 अदद ट्राली मु0अ0सं0 140/18 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित बरामद हुआ है

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण -</u>

1- शुभान्शु उर्फ पिन्टू पुत्र पवन नि0 शैडभर थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र – 22 वर्ष।
2- सचिन उर्फ कल्लू पुत्र श्याम सिहं नि0 ग्राम कोट थाना गुलावटी जिला बु0शहर उम्र करीब – 20 वर्ष।
3- अंकित यादव पुत्र अजेन्द्र सिहं नि0 कोटा थाना थाना गुलावटी जिला बु0शहर उम्र करीब 22 वर्ष।

<u>बरामदगी</u> -

01 अदद ट्रेक्टर रजि नं0 HR 13M 7666

01 अदद ट्राली बरामद।

<u>अपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 140/18 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

<u>अभि0गण शातिर किस्म के चोर है, जो आर्थिक मुनाफे के लिए वाहन चोरी करते है।</u>

<u>96 पव्वा अवैध अंग्रेजी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–</u> थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 27.04.19 को समय 22:30 बजे विकास नगर इण्टर कॉलेज के पास से अभियुक्त सौराज पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम सालेनगर थाना लोनी जनपद गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 96 पव्वा अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी है।